न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 02/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/6)

बीरबलराम पुत्र श्री दुलाराम जाति कुम्हार निवासी –3 के डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)

अपीलान्ट

बनाम

1. लिछमा बैवा दुलीचन्द पुत्री दुलाराम जाति कुम्हार निवासी लादुवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (फौत)

1/1 रामेश्वर 1/2 कानाराम 1/3 कलावली 1/4 सरस्वती	पुत्र/पुत्रिया स्व. लिछमा पुत्री दुलाराम जाति कुम्हार निवासी 3 के. डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ।

2. मु.दामी पत्नी श्री सुरजाराम पुत्री दुलाराम जाति कुम्हार निवासी केरा तहसील अबोहर पंजाब।
3. ग्राम पंचायत 3 के डी ए जरिये सरपंच पंचायत समिति अनूपगढ तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल जिला अनूपगढ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री संतनाथ योगी – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री इफ्तेकार मोहम्मद सिसोदिया –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. श्री नवरतन तंवर –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 ता 1/4
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 20.08.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी घड़साना, प्रकरण सं. 05/02 निर्णय दिनांक 21.12.2002 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट लिछमा वगैरह ने सरपंच ग्राम पंचायत 3 के.डी. ए द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 30 दिनांक 12.11.99 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ मे अपील पेश कर उक्त इन्तकाल को निरस्त फरमाया जाकर उपरोक्त रकबा का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करने के आदेश देने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.12.2002 द्वारा अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 30

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 12.11.99 को निरस्त कर प्रकरण सरपंच ग्राम पंचायत को रिमाण्ड कर मृतक दुलाराम के द्वारा करवाई गई रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलान्ट्स के नाम इन्तकाल खोलकर तस्दीक करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट बीरबलराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.11.99 को निरस्त कर इन्तकाल सं. 30 को यथावत रखने का आदेश फरमाने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 सरपंच ग्राम पंचायत 3 के डी.ए, दिनांक 20.07.2009 को स्वय उपस्थित हुए, तथा बहस के दौरान उपस्थित नही हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक नायब सिह की ओर से इफ्तेकार मोहम्मद सिसोदिया एडवोकेट जरिये अधिकार पत्र उपस्थित होकर उनकी ओर से बहस की गई।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के पिता दुलाराम के नाम चक 3 के डी ए मे मु. नं. 170/11 तादादी 18 बीघा खातेदारी भूमि स्थित है। जिसकी वसीयत दुलाराम ने दिनांक 28.9.99 को अपीलान्ट के पक्ष मे लिखी जो नोटेरी पब्लिक बीकानेर के रजिस्टर में दर्ज है तथा फोटो वसीयत पर चस्पा किये हुए है। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में इन्तकाल दर्ज किया गया था, जो इन्तकाल सही दर्ज किया गया। यह कि मृतक दुलाराम के एक पुत्र अपीलान्ट व दो पुत्रियो रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को मृतक दुलाराम का पुत्र नही मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने मृतक दुलाराम के द्वारा तथा कथित वसीयत 4.9.99 को अपने पक्ष मे होनी बतायी। जो वसीयत फर्जी थी, जिसके बाबत अपीलान्ट ने उसके खिलाफ मुकदमा कर रखा है जो जैरकार है तथा अपीलान्ट के पक्ष मे जारी वसीयत अन्तिम वसीयत है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही है फिर भी प्रथम अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्राप्त नही की। अपीलान्ट के नाम इन्तकाल दर्ज करने की जानकारी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को शुरू

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

थी। प्रथम अपील मियाद बाहर थी तथा डिले कन्डोन का कोई स्पष्टीकरण नही दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.12.2002 को निरस्त फरमाया जावे। तथा ग्राम पचायत 3 के डी का आदेश दिनांक 12.11.99 इन्तकाल सं. 30 को यथावत रखने के आदेश फरमावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ता 1/4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के बीच राजीनामा हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि मृतक दुलाराम के नाम भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। दुलाराम के 2 पुत्रिया थी उसके कोई पुत्र नही था। अपीलान्ट बीरबलराम द्वारा झूठी वसीयत पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है । अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपील मे वर्णित भूमि ग्राम 3 के डी ए, मुरब्बा नं. 170/11 की भूमि की दुलाराम पुत्र चौथाराम द्वारा वसीयत दिनांक 09.04.1999 को पुत्रियो दामी व लिछमा के नाम तथा दिनांक 29.09.1999 को अपने पुत्र बीरबलराम के नाम वसीयत की जानी प्रतिवेदित हुई है। दुलाराम की मृत्यु दिनांक 01.11.1999 को हो चुकी है। दुलाराम की मृत्यु होने पर बीरबलराम के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 29.09.1999 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 12.11.1999 भरा गया, जो निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा वसीयत दिनांक 09.04.1999 के आधार पर इंतकाल खोले जाने के आदेश पारित किए गए। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में दुलाराम के वारिसान की विधिवत सुनवाई नही की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना बताया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 29.03.2000 में भूमि दुलाराम की स्वअर्जित होना व मौके पर बीरबलराम पुत्र दुलाराम का काबिज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होना प्रतिवेदित किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे चूंकि दोनो वसीयतग्रहिता अपने पक्ष मे नामान्तरकरण किए जाने हेतु दलील पेश कर रहे है व एक दूसरे की वसीयत को सही नही होना बता रहे है, ऐसी स्थिति मे चूंकि वसीयत की सत्यतता व वैधता पर विनिश्चय किया जाना सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। उक्त परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 12.11.1999 व उपखण्ड अधिकारी धड़साना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2002 दोनो को निरस्त किया जाता है। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम 3 के.डी.ए. मुरब्बा नं. 170/11 में स्थित दुलाराम पुत्र चेतनराम कौम कुम्हार की भूमि उसके वारिसान क्रमशः बीरबलराम, लिछमा व दामी तीनो के नाम दायर किए जाने के आदेश पारित किए जाते है। अगर उक्त तीनो मे से कोई फौत हो चुका है तो उसके जायज वारिसान को उनके स्थान पर रिकार्ड पर लिया जावे। वसीयत की सत्यता व वैधता संबधी विनिश्चय हेतु कोई भी पक्ष संक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर